न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–138/2013

वादी	बनाम	प्रतिवादी
अमरा खां पुत्र राजू खां		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
कौम मुसलमान		पचपदरा
निवासी रिछोली		
तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री थानसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता,वादी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा प्रतिवादी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक– 04.10.2022

1. संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादी एक भूमिहीन काश्तकार होने के कारण भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम वेदरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा नम्बर 125 रकबा 23–02 बीघा भूमि वादी को दिनांक 30.08.1971 को आंवटन की गई थी और वक्त आंवटन वादी को मौका कब्जा सुर्पुद किया तथा वक्त आंवटन से आंदिनांक तक वादी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी अनपढ़ व गांव का निवासी होने के कारण वादी यह समझता रहा कि रेकर्ड में भी अमल दरामद हो चुका है। लेकिन तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों/अधिकारीयों ने गलत तरीके व मनमर्जी तौर पर वादी के पक्ष में नामान्तकरण

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पारित करने के बजाय नामान्तकरण अस्वीकृत किया जिसका वादी को कोई जानकारी नहीं थी,क्योंकि वादी को नामान्तरण अस्वीकृत करने के संबंध में कोई सूचना अथवा विधिक नोटिस नहीं दिया गया था,अभी दावा पेश करने से पूर्व हल्का पटवारी से नकल प्राप्त करने पर ज्ञात चला कि वादी के हक हकूकों के साथ अन्याय हुआ है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा आंवटन आदेश 30.08.1971 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी घोषित करवानें व प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें हेतु वाद पेश किया गया।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया तथा प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी की ओर से वादी के वाद तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाब पेश कर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया।

3. वादी के वाद व प्रतिवादी के जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

तनकी संख्या.01–आया वादी खेत खसरा नम्बर 125 रकबा 23–02 बीघा ग्राम वेदरलाई तहसील पचपदरा की भूमि आंवटन आदेश माफिक खातेदारी पाने का अधिकारी है?

जिम्मे–वादी

तनकी संख्या.02–आया वादग्रस्त वादी कब्जा काश्त के अभाव में तथा पूर्व में नामान्तकरण निरस्त हो चुका होने से खारिज होने योग्य है?

जिम्मे–प्रतिवादी

4. वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–01 अमराखां द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि ग्राम वेदरलाई तहसील पचपदरा का नामान्तकरण संख्या 65 प्रति,हल्का पटवारी सांभरा की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 04.03.2022 प्रति, भूमि आंवटन सलाहकार समिति बैठक दिनांक 30.08.1971 आंवटन आदेश प्रति,भूमि आंवटन सलाहकार समिति बैठक की कार्यवाही बमुकाम दिनांक 30.08.1971 प्रति पेश की गई।

5. प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य गवाहान पेश करने के पर्याप्ततम अवसर दिए जाने के उपरान्त भी गवाहान नहीं करवाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उभयपक्ष की बहस सुनी गई थी। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये थे,कि वादी भूमिहीन काश्तकार होने के कारण ग्राम वेदरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा नम्बर 125 रकबा 23–10 बीघा भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा सर्व सम्मति से मजमे आम केम्प बमुकाम रिछोली दिनांक 30.08.1971 को वादी को भूमि आंवटन की गई तथा वक्त आंवटन तत्कालीन राजस्व कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा आंवटन आदेश अनुसार वादी को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया तथा वादी का उक्त आंवटन से आंदिनांक तक मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और मौके पर वादी की रहवासीया ढाणी,पानी के टांके व पशुओं के लिए बाड़े इत्यादि बने हुए है और वादी निरक्षर होने व गांव में ही निवास होने के कारण यह समझता आया कि आंवटन आदेश अनुसार वादी के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण हो रखा है,जबकि तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा वादी के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 65 दायर किया और दायर करने के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना चाहिए था,लेकिन तत्कालीन अधिकारी ने गलत तरीके से नामान्तकरण खारिज कर दिया। लेकिन उक्त तथ्यों का वादी को कोई जानकारी नहीं हुई। क्योंकि उक्त कार्यवाही वादी को बिना सूचना व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते खारिज की गई थी। लेकिन वादी यही समझता रहा कि वादी का वादग्रस्त भूमि में नाम इन्दाज हो रखा है क्योंकि आंदिनांक तक प्रतिवादी पक्ष की ओर से वादी के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई और वादी का ही आंवटन अनुसार मौके पर काबिज है। लेकिन वादी का दावा लाने से पूर्व अवगत करवाया कि वादी का नाम वादग्रस्त भूमि में दायर नहीं किया हुआ है। तब वादी द्वारा मेरे से सम्पर्क करने पर विवादित भूमि की नकलें लेने पर ज्ञात हुआ कि वादी के साथ अन्याय हुआ है,कि वादी के नाम आंवटन आदेश अनुसार नामान्तकरण स्वीकृत नहीं किया गया। तब वादी की ओर से उक्त वाद पेश किया गया। अपनी बहस को आगे ओर जारी रखते हुए वादी वकील ने तर्क दिये थे,कि वादी को भूमि सलाहकार समिति द्वारा भूमि आंवटन आदेश अनुसार ही नामान्तकरण पारित किया जाना चाहिए था,लेकिन तत्कालीन राजस्व कर्मचारी/अधिकारियों ने वादी के हक हकूको के साथ कुठाराघात करते हुए गलत

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तौर पर नामान्तकरण खारिज किया। जबकि वादी का वक्त आंवटन पूर्व से आंदिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। जबकि आवंटन भूमि सलाहकार समिति ने तत्समय वादी की भूमि आवंटन करने से पूर्व सम्रग जांच करने के उपरांत ही भूमि आंवटन की गई थी और आंवटन के आधार पर वादी के पक्ष में तत्कालीन हल्का पटवारी ने नामान्तकरण संख्या 65 दायर भी कर दिया था,लेकिन स्वीकृत अधिकारी ने गलत टिप्पणी करने हुए नामान्तकरण निरस्त कर दिया,जिसका विधिक व कानूनी अधिकारी भी नहीं था। जबकि तहसीलदार पचपदरा ने अपनी मौका रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि वादी का वक्त आंवटन से आंदिनाक तक मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,उक्त तथ्यों से भी बल मिलता है,कि तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने गलत तरीके से नामान्तकरण संख्या 65 खारिज कर वादी को उसके खातेदारी अधिकारों से महरूम रखा गया,जबकि वादी इसका हकदार है,अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया था,कि वादी की ओर से बयानात मय दस्तावेजी साक्ष्य से की साबित होता है,कि आंवटन भूमि पर वादी का निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है,और आंवटन भूमि अनुसार अपनी खातेदारी घोषित करवाने का हकदार है। अतः में निवेदन किया कि भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा वादी को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 23–10 बीघा भूमि ग्राम वेदरलाई वादी की खातेदारी घोषित की जावें व वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें,कि वादी के कब्जा काश्त भूमि में दखलदान्जी व हस्तक्षेप न करे।

7.इसके विपरीत प्रतिवादी की बहस थी,कि वादी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर वाद लाया गया है,जो निरस्त योग्य है। क्योंकि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम वेदरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा नम्बर 125 रकबा 23–18 बीघा भूमि वादी को दिनांक 30.08.1971 को आंवटित की गई थी और उक्त आवंटन के आधार पर तत्कालीन हल्का पटवारी ने नामान्तकरण संख्या 65 दायर किया गया,लेकिन वादी का आवंटन भूमि पर कब्जा नहीं होने के कारण उक्त नामन्तकरण अस्वीकृत किया गया। वर्तमान में राजस्थान सरकार खाता इन्द्राज है। वादी का विवादित भूमि पर कब्जा–काश्त नहीं होने के कारण

सहायक कलक्टर
बालोतरा

विवादित भूमि के संबंध में दायर नामान्तकरण तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया था,यदि वादी का मौके पर कब्जा–कश्त होता,तो तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा नामान्तकरण निरस्त नहीं किया होता,लेकिन कब्जा नहीं होने के कारण नामान्तकरण सही खारिज किया था। अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए तर्क दिये कि वादग्रस्त भूमि आंवटन नामान्तकरण संख्या 65 सन् 1973 को अस्वीकृत किया और वादी द्वारा लगभग 40 वर्ष बाद वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पेश किया गया,इतने वर्षों तक वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई,इससे स्पष्ट है,कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा–काश्त नहीं है,केवलमात्र वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण भूमि हड़पने के लिए वाद पेश किया है।'जो गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

8. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया।

तनकी संख्या.01–आया वादी खेत खसरा नम्बर 125 रकबा 23–02 बीघा ग्राम वेदरलाई तहसील पचपदरा की भूमि आंवटन आदेश माफिक खातेदारी पाने का अधिकारी है?

जिम्में–वादी

जिसे सिद्ध करने का जिम्मा वादी पक्ष पर है,वादी स्वंय द्वारा पी.डब्ल्यू–01 लिखित बयानात स्वरूप शपथ–पत्र पेश किया तथा वाद को साबित करने में दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। जिसमें पाया कि भूमि आंवटन सलाहकार समिति बैठक दिनांक 30.08.1971 ग्राम रिछोली में आयोजित हुए, जिसमें क.सं. 11 पर वादी अमराखां पुत्र राजूखां कौम मुसलमान ग्राम रिछोली की खसरा नम्बर 125 रकबा 23–10 बीघा भूमि संवत 2028 से 10 साल तक गैर खातेदारी के रूप में आवंटित की गई और उक्त आंवटन आदेश के आधार पर तत्कालीन हल्का पटवारी रिछोली द्वारा नामान्तकरण संख्या 65 दायर कर सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश किया,तत्कालीन साक्ष्य प्राधिकारी ने नामान्तकरण संख्या 65 अस्वीकृत किया तथा टिप्पणी की आवंटन खारिज हेतु अलग से रिपोर्ट की जावें। जो कि तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

गलत आधार पर नामान्तकरण अस्वीकृत किया था। क्योंकि अदालत का यह मानना है कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बाद विस्तृत जांच मय समिति की अनुशंषा के आधार पर वादी को भूमि आंवटन की गई की और तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा भूमि आंवटन के आधार पर सही नामान्तकरण दायर किया था,जो सक्षम अधिकारी को स्वीकृत किया जाना था,लेकिन तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा गलत आधार पर नामान्तकरण अस्वीकृत किया। जो कि वादी नामान्तकरण बहाल करने का अधिकारी है। अदालत का यह भी मानना है कि तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 65 को अस्वीकृत किया। लेकिन भूमि आंवटन आदेश को खारिज करने हेतु टिप्पणी की गई। लेकिन प्रतिवादी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया,जिससे साबित होता हो,कि भूमि आंवटन आदेश निरस्त हो चुका हो। इससे साबित है कि भूमि आवंटन आदेश बहाल है,जो वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा है। जबकि तहसीलदार पचपदरा ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में भी स्वीकार किया है,कि विवादित भूमि पर वादी मौके पर काबिज है,इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है,कि भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन भूमि पर वादी काबिज है,और तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी ने आंवटन भूमि के आधार पर दायर नामान्तकरण स्वीकृत करने के बजाय गलत तरीके से अस्वीकृत किया। जिसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि वादी आंवटन भूमि पर काबिज है और नामान्तकरण संख्या 65 अवैधानिक तौर से निरस्त किया था,जो वादी भूमि आंवटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 30.08.1971 के अनुसार गैर खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का हकदार है। इस प्रकार वादी तनकी संख्या 01 साबित करने में सफल रहा है।

तनकी संख्या.02– आया वादग्रस्त वादी कब्जा काश्त के अभाव में तथा पूर्व में नामान्तकरण निरस्त हो चुका होने से खारिज होने योग्य है?

जिम्मे–प्रतिवादी

प्रतिवादी की ओर से उक्त तनकी को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य गवाहान नहीं करवाई गई। केवल मात्र अपनी बहस में मौखिक कथन किए कि वादी का आंवटन भूमि पर

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

कब्जा काश्त नहीं होने के कारण तत्कालीन सक्षम अधिकारी ने नामान्तरण संख्या 65 खारिज किया। लेकिन उक्त नामान्तरण संख्या 65 को अस्वीकृत करने के साथ भूमि आवंटन खारिज करने हेतु अलग से रिपोर्ट की जावेगी,बिन्दु के संबंध में प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई ऐसा दस्तावजी साक्ष्य पेश नहीं किया,जिससे साबित होता हो कि भूमि आंवटन आदेश खारिज हो रखा हों। इससे प्रमाणित है,कि भूमि आंवटन आदेश बहाल है। जबकि इसके विपरीत मौका रिपोर्ट में स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर वादी काबिज है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 02 प्रतिवादी पक्ष साबित करने में असफल रहा है। ऐसी सूरत में वादी अपने जिम्मे तनकीयात को बखुबी सिद्ध किया है,इसलिए वादी न्यायालय से सहायता पाने का अधिकारी है।

9.वाद में कायम तनकीयात को वादी सिद्ध करने में सफल रहा है,लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर भूमि आंवटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 30.08.1971 के अनुसार ग्राम वेदरलाई तहसील पचपदरा की खेत मूल खसरा नम्बर 125 (इससे विभक्त खसरान सहित) रकबा 23–10 बीघा भूमि वादी की गैर खातेदारी के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 05.10.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः–श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादी
अमरा खां पुत्र राजू खां		राजस्थान सरकार जरियें
कौम मुसलमान		तहसीलदार पचपदरा
निवासी सिणोली		
तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		

राजस्व वाद बाबतः–88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :138 / 2013

निर्णय दिनांक :–04.10.2022

वादी की ओर से श्री थानसिंह राजपुरोहित की उपस्थिति व प्रतिवादी तहसीलदार पचपदरा इस वाद में आज तारीख 04.10.2022 को श्री नरेश सोनी (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर भूमि आंवटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 30.08.1971 के अनुसार ग्राम वदनलाई तहसील पचपदरा की खेत मूल खसरा नम्बर 125(इससे विभक्त खसरान सहित) रकबा 23–10 बीघा भूमि वादी की गैर खातेदारी के रूप में दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे

यह आज तारीख 04.10.22 को मेरे हस्ताक्षर [illegible] न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

(नरेश सोनी)

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.) बालोतरा